महानगर लखनऊ– 226006
फोन नं0 0522–2339303
फैक्स नं0–0522–2339303
Email– igczone@uppac.net

पत्रांक:एससीबी– 04/2021
दिनांक:अप्रैल 22 2022

पीएसी मध्य जोन एवं
उ0प्र0 पुलिस स्पोर्टस कन्ट्रोल बोर्ड
लखनऊ

सेवा में,

सचिव
उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
लखनऊ।

विषय– वर्तमान में प्राख्यापित उत्तर प्रदेश पुलिस(कुशल खिलाडी) की भर्ती एवं बिना पारी पदोन्नति नियमावली–2021 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कुशल खिलाडियों की भर्ती प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपयुक्त विषयक श्री बी0डी0पालसन सचिव,गृह(पुलिस)अनुभाग–10 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या:22/6-पु–10–2022–1200(122)/78 दिनांक 06–01–2022(छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। जो अपर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 स्थापना को सम्बोधित एवं अन्य सहित इस कार्यालग को पृष्ठांकित है।

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में मा0मंत्रिपरिषद व्दारा लिये गये निर्णय के कम में अधिसूचना संख्या–1102/6–पु–10–2021–1200(122)/78 दिनांक 06–01–2022 व्दारा उत्तर प्रदेश पुलिस (कुशल खिलाडी) की भर्ती एवं बिना पारी पदोन्नति नियमावली–2021 निर्गत की जा चुकी है।

अतः उत्तर प्रदेश पुलिस(कुशल खिलाडी) की भर्ती एवं बिना पारी पदोन्नति नियमावली–2021 की प्रति संलग्न इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया कुशल कुशल खिलाडी कोटे के अन्तर्गत वर्तमान में विद्यमान रिक्ति के सापेक्ष कुशल खिलाडियों की भर्ती की कार्यवाही प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

930

संलग्नक यथोपरि।

Addl Secy(R)/Addl SP(R-I)

22.04.22
(चन्द्र प्रकाश)
पुलिस महानिरीक्षक
पीएसी मध्य जोन एवं सचिव
उ0प्र0 पुलिस स्पोर्टस कन्ट्रोल बोर्ड
लखनऊ।

M. Secy
25/4/22

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1–अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी उ0प्र0 लखनऊ।
2–अपर पुलिस महानिदेशक,स्थापना मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ।

SI (M) ...... / ASIM ......

ASP (R-I)

संख्या--22/6--पु0--10--2022--1200(122)/78

प्रेषक,

बी0डी0पालसन,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक (स्थापना),
उ0प्र0, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग–10 लखनऊ: दिनांक 06 जनवरी, 2022

विषय:–उत्तर प्रदेश पुलिस (कुशल खिलाड़ियों) की भर्ती एवं बिना पारी पदोन्नति नियमावली, 2021 के प्रख्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना, उ0प्र0 के पत्र संख्या–डीजी–चार–110(06)2018, दिनांक 09.10.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस (कुशल खिलाड़ियों) की भर्ती एवं बिना पारी पदोन्नति नियमावली, 2021 को प्रख्यापित किये जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गये निर्णय के कम में अधीसूचना संख्या–1102/6–पु0–10–2021–1200(122)/78, दिनांक 07.01.2022 द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस (कुशल खिलाड़ियों) की भर्ती एवं बिना पारी पदोन्नति नियमावली, 2021 (हिन्दी व अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति संलग्न) निर्गत की जा चुकी है।

3– कृपया तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(बी0डी0पालसन)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक–यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2– अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी//सचिव, उ0प्र0 पुलिस स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड, लखनऊ को अधिसूचना की हिन्दी एवं अंग्रेजी की प्रति सहित।

3– गृह (पुलिस) अनुभाग–1 एवं 2 को उपरोक्त की हिन्दी व अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित।

4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग 10

संख्याः 1102/6-पु0-10-2021-1200(122)/78

लखनऊः दिनांकः 06 जनवरी, 2022

अधिसूचना

प्रकीर्ण

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम सं0 5 सन् 1861) की धारा 2 के साथ पठित धारा 46 की उपधारा (2) और संयुक्त प्रान्त प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी अधिनियम, 1948 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40 सन् 1948) की धारा 15 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और उत्तर प्रदेश सिविल पुलिस/प्रादेशिक सशस्त्र कान्सटेबुलरी भर्ती और पदोन्नति प्रक्रिया नियमावली, 2011 तथा इस निमित्त कुशल खिलाड़ियों की भर्ती/बिना पारी की पदोन्नति के सम्बन्ध में जारी अन्य समस्त विद्यमान नियमों, आदेशों या अनुदेशों का उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करके जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किये गये हों या किये जाने हेतु लोपित हों, राज्यपाल उत्तर प्रदेश के कुशल खिलाड़ियों की उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमाण्डर प्रादेशिक सशस्त्र कांस्टेबुलरी, आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी प्रादेशिक सशस्त्र कान्सटेबुलरी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस एवं अन्य समकक्ष अराजपत्रित पदों की भर्ती, पुलिस निरीक्षक, नागरिक पुलिस, कम्पनी कमाण्डर, प्रादेशिक सशस्त्र कान्सटेबुलरी, निरीक्षक घुड़सवार पुलिस व अन्य समकक्ष पदों पर बिना पारी की पदोन्नति, प्रशिक्षण, वेतन, ज्येष्ठता निर्धारण तथा विनियमितीकरण का उपबंध करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :–

उत्तर प्रदेश पुलिस (कुशल खिलाड़ियों) की भर्ती एवं बिना पारी पदोन्नति नियमावली, 2021

भाग–एक (सामान्य)

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1 (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस (कुशल खिलाड़ियों) की भर्ती एवं बिना पारी पदोन्नति नियमावली–2021 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2 जब तक विषय अथवा सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :–

'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य :–

(1)निरीक्षक नागरिक पुलिस/कम्पनी कमाण्डर प्रादेशिक सशस्त्र कान्सटेबुलरी/निरीक्षक घुड़सवार पुलिस और उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस/प्लाटून कमाण्डर, प्रादेशिक सशस्त्र कान्सटेबुलरी/उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस के पद के सम्बन्ध में पुलिस उप महानिरीक्षक और,

(2) मुख्य आरक्षी, नागरिक पुलिस/प्रादेशिक सशस्त्र कान्सटेबुलरी/घुड़सवार पुलिस और आरक्षी नागरिक पुलिस/प्रादेशिक सशस्त्र कान्सटेबुलरी/घुड़सवार पुलिस के सम्बन्ध में यथास्थिति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक अथवा सेनानायक (प्रादेशिक सशस्त्र कांस्टेबुलरी), से है,

(क) 'अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता' का तात्पर्य ऐसी पुलिस खेल प्रतियोगिताओं से है, जो अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड के संरक्षण में आयोजित किये जाते हैं;

(ख) 'बोर्ड' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवम् प्रोन्नति बोर्ड से है;

(ग) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है;

(घ) 'विभागाध्यक्ष' का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश से है;

(ड.) 'अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता' का तात्पर्य अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक संघ एवं उससे सम्बद्धता प्राप्त खेल परिसंघों (ओलम्पिक खेल, विश्व चैम्पियनशिप, विश्व कप, कामनवेल्थ खेल, एशियाई खेल एवं एशियाई चैम्पियनशिप) द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से है;

Scanned with CamScanner

(च) 'राष्ट्रीय चैम्पियनशिप' का तात्पर्य भारतीय ओलम्पिक संघ एवं उससे सम्बद्धता प्राप्त खेल परिसंघों (राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय चैम्पियनशिप, राष्ट्रीय अन्तर राज्यीय फेडरेशन कप, अखिल भारतीय पुलिस एवं अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता) द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं से है;

(छ) 'चयन समिति' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा गठित समिति से है;

(ज) 'सेवा' का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति के माध्यम से संवर्ग में किसी पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति की सेवा से है.

(झ) 'कुशल खिलाड़ी' का तात्पर्य ऐसे महिला/पुरुष खिलाड़ियों से है जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक परिसंघ और उसके सम्बद्धता प्राप्त खेल परिसंघों द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं या भारतीय ओलम्पिक संघ और उसके सम्बद्धता प्राप्त खेल परिसंघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया हो अथवा पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के संरक्षण में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिताओं में सहभागिता किया हो;

(ञ) 'खेल उपलब्धि' का तात्पर्य किसी खिलाड़ी द्वारा सृजित मानकों अथवा उसके द्वारा अर्जित पदकों से है;

(ट) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा संवर्ग में किसी पद पर नियमानुसार और यदि नियमानुसार न हो तो सरकार द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार जारी कार्यकारी अनुदेशों के अनुसार तदर्थ नियुक्ति से भिन्न किसी नियुक्ति से है;

(ठ) 'टीम' का तात्पर्य खिलाड़ियों के ऐसे समूह से है, जिनकी संख्या राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक संघ/समिति द्वारा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय खेलों के लिये नियत की जाती है;

(ड) "उत्तर प्रदेश पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड" का तात्पर्य ऐसी ईकाई से है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए विभिन्न खेल गतिविधियों को नियंत्रित और आयोजित करती है;

(ढ) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की प्रथम जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग-दो (संवर्ग)

सेवा का संवर्ग — 3 (1) नियुक्ति के लिये वह पद, जिसके लिये किसी कुशल खिलाड़ी की भर्ती की गयी है, सेवा के संवर्ग में उसे उस पद के लिये नियुक्त किया गया समझा जायेगा।

(2) यदि किसी भर्ती/चयन वर्ष में उपयुक्त और अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्ध नहीं होने के कारण, अथवा किसी कारण से रिक्ति के सापेक्ष भर्ती की प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरान्त कतिपय रिक्तियां बिना भरी हुयी रह जाती हैं, तो ऐसी रिक्तियों को अगले तीन वर्षो के लिए अग्रेनीत किया जायेगा तथा यदि तीन वर्षो के उपरान्त भी ऐसी रिक्तियॉं बिना भरी हुयी रह जाती हैं तो उन्हें सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भरा जा सकता है।

भाग-तीन (भर्ती)

भर्ती का स्रोत — 4 उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमाण्डर प्रादेशिक सशस्त्र कान्सटेबुलरी, और आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी प्रादेशिक सशस्त्र कान्सटेबुलरी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस एवं समकक्ष अराजपत्रित पदों में से 02 प्रतिशत रिक्तियाँ, जिनके लिये सीधी भर्ती अनुध्यात की गयी हो, सीधी भर्ती द्वारा कुशल खिलाड़ियों में से भरी जायेंगी;

परन्तु यह कि इस नियमावली के अधीन विभाग में नियुक्त कोई कर्मचारी, जो कुशल खिलाड़ी हो, सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित किया गया हो तो उसे यद्यपि सीधी भर्ती का अभ्यर्थी माना जायेगा, फिर भी उसे भी पदोन्नति के क्रम में इस नियमावली का लाभ अनुमन्य होगा ;

आरक्षण — 5 (1) कुशल खिलाड़ियों के लिये सम्बन्धित सेवा संवर्ग में चयन हेतु उस वर्ष की रिक्तियों में से 2 प्रतिशत रिक्त पदों को अलग करके भरा जायेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 (अधिनियम संख्या 40, सन् 1993) की धारा 3 की उप धारा (3) के अनुसार यदि ऐसे भर्ती किये गये कुशल खिलाड़ी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गो के व्यक्ति हों तो ऐसे अभ्यर्थियों को नियमानुसार उक्त आरक्षित श्रेणी के लिये आरक्षित प्रतिशत के अधीन समायोजित किया गया माना जायेगा। यही व्यवस्था सामान्य श्रेणी के चयनित अभ्यर्थियों के लिए होगी।

Scanned with CamScanner

(2) अधियाचित वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष सभी कोटा पूर्ण किये जायेंगे।
(3) शारीरिक रूप से विकलांग (अक्षम) व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिये पात्र नहीं होंगे।

भाग–चार (सीधी भर्ती के लिये अर्हतायें)

राष्ट्रीयता 6 सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के लिये भारत का नागरिक होना आवश्यक है।

शैक्षिक अर्हताएं 7 (1) (क) उप निरीक्षक नागरिक पुलिस/प्लाटून कमाण्डर, प्रादेशिक सशस्त्र कांस्टेबुलरी के पद पर भर्ती के लिये किसी अभ्यर्थी/खिलाड़ी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिये।

(ख) आरक्षी, नागरिक पुलिस/प्रादेशिक सशस्त्र कांस्टेबुलरी/घुड़सवार पुलिस के पद पर भर्ती के लिये किसी अभ्यर्थी/खिलाड़ी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिये।

(2) यदि किसी अभ्यर्थी/खिलाड़ी को उत्कृष्ट खेल उपलब्धि के आधार पर भर्ती किया जाता है, किन्तु वह सम्बन्धित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूर्ण नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उसे इस शर्त के साथ भर्ती किया जा सकता है कि वह भर्ती/नियुक्ति के दिनांक से 05 वर्षों में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूर्ण कर लेगा। इस अवधि में उसकी नियुक्ति परिवीक्षाधीन मानी जायेगी।

परन्तु यह कि उक्त अवधि में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूर्ण न कर पाने की स्थिति में उसे सेवामुक्त (Discharge) कर दिया जायेगा।

कुशल खिलाडियों की भर्ती हेतु अर्हताएं 8 (1) कोई खिलाड़ी, जो अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर, अन्तर्राष्ट्रीय/भारतीय ओलम्पिक संघ एवं उससे सम्बद्धता प्राप्त खेल परिसंघों द्वारा आयोजित सीनियर अथवा जूनियर प्रतियोगिताओं अथवा अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड के संरक्षण में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिताओं अथवा अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त अखिल भारतीयविश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं,जिनकी मुख्य खेल विधाओं का विवरण निम्नवत् है, में विज्ञापित भर्ती वर्ष के विगत 02 वर्षों मे पदक अर्जित किया हो या प्रतिभाग किया हो, को कुशल खिलाड़ी के रूप में भर्ती किया जायेगा :–

क्र0	खेल का नाम	क्र0	खेल का नाम
1	तीरंदाजी	19	बाडी बिल्डिंग
2	एथलेटिक्स	20	वाटर स्पोर्ट्स
3	क्रासकंट्री	21	खो–खो
4	बैडमिन्टन	22	कबड्डी
5	वालीबाल	23	शूटिंग स्पोर्टर्स
6	बास्के टबाल	24	स्वीमिंग
7	पावर–लिफ्टिंग	25	टेबिल टेनिस
8	बाक्सिंग	26	लान टेनिस
9	साइकिलिंग	27	कराटे
10	घुड़सवारी	28	योग
11	फुटबाल	29	कुश्तीर
12	हैण्डीबाल	30	ताइक्वौण्डो

Scanned with CamScanner

13	रायफल शूटिंग	31	भारोत्तोलन
14	जिम्नास्टिक	32	गोल्फ
15	जूडो	33	सेपक टकरा
16	हॉकी	34	तलवारबाजी
17	वुशू	35	आर्म रेसलिंग
18	पेनकक सिल्ट		

टिप्पणीः ऊपर उल्लिखित खेल विधाओं के अतिरिक्त अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड द्वारा जो विधाएं सम्मिलित की जायेंगी अथवा हटायी जायेंगी, वे इस नियमावली के अधीन समायोजित मानी जायेंगी। उनके लिये उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पृथक से कोई आदेश जारी नहीं किया जायेगा।

(2) विभिन्न खेल स्पर्धाओं का श्रेणीवार वर्गीकरण निम्नवत् है :–

श्रेणी	खेल स्पर्धा/चौंपियनशिप
श्रेणी–क	1–ओलम्पिक गेम्स, 2–विश्व चौंपियनशिप, 3–विश्व कप
श्रेणी–ख	1–एशियाई खेल 2–कामनवेल्थ खेल (सीनियर) 3–कामनवेल्थ चौंपियनशिप (सीनियर) 4–एशियाई चौंपियनशिप (सीनियर)
श्रेणी–ग	1–यूथ ओलम्पिक खेल 2–एशियाई चौंम्पियनशिप (जूनियर/सीनियर, अण्डर–21) 3–कामनवेल्थ युवा खेल 4–दक्षिण एशियाई खेल 5–विश्व विश्वविद्यालय खेल/चौंपियनशिप 6–ओलम्पिक संघ से सम्बद्धता प्राप्त अन्य अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता
श्रेणी–घ	1–नेशनल खेल 2–नेशनल चौंपियनशिप (जूनियर/सीनियर) 3–फेडरेशन कप नेशनल (जूनियर/सीनियर) 4–अखिल भारतीय अन्तर राज्यीय चौंपियनशिप (सीनियर) 5– अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट 6–विश्व स्कूल खेल (अण्डर–19) 7–राष्ट्रीय विद्यालय खेल (अण्डर–19) 8–अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता

(3) (1) खिलाड़ीः–

कोई खिलाडी, जो रिक्तियों के विज्ञापन के दिनांक को निम्नलिखित अर्हताएं धारित करता है, निम्नलिखित पदों पर भर्ती के लिये पात्र होगा :–

पदनाम — न्यूनतम अर्हता

Scanned with CamScanner

आरक्षी	उपरोक्त श्रेणी–घ के अधीन किसी खेल स्पर्धा में प्रतिभाग किया हो।
उप निरीक्षक	उपरोक्त श्रेणी–घ के अधीन सीनियर स्तर की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी व्यक्तिगत/टीम स्पर्धा में कोई भी पदक अर्जित किया हो अथवा श्रेणी घ के अधीन किसी अन्य प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अर्जित किया हो, अथवा श्रेणी–ग के अधीन किसी व्यक्तिगत खेल स्पर्धा में पदक प्राप्त किया हो अथवा टीम स्पर्धा में प्रतिभाग किया हो, अथवा श्रेणी–ख के अधीन किसी खेल स्पर्धा में प्रतिभाग किया हो।

(4) अनुदेशकः–

उप निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती हेतु ऐसे अभ्यर्थी (अनुदेशक) पात्र होंगे जिन्होंने:–

(क) नियम 9 के उप नियम (1) में उल्लिखित किसी खेल स्पर्धा में (एलएनआईपी ग्वालियर अथवा नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला से) एन0आई0एस0 डिप्लोमा प्राप्त किया हो; या

(ख) नियम 9 के उप नियम (2) में उल्लिखित श्रेणी ग अथवा श्रेणी घ के किसी खेल स्पर्धा में (टीम/व्यक्तिगत) पदक जीता हो; और

(ग) कम से कम 03 वर्ष का प्रशिक्षण देने का अनुभव प्राप्त हो।

आयु 9 (1) सीधी भर्ती के लिये किसी अभ्यर्थी को जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जाती है, नीचे दी गयी सारणी में पद के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट न्यूनतम आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए एवं अधिकतम आयु से अधिक आयु नहीं होनी चाहिएः–

क्र0	पदनाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु
1	उप निरीक्षक नागरिक पुलिस	21 वर्ष	27 वर्ष
2	प्लाटून कमाण्डर प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलरी	21 वर्ष	27 वर्ष
3	उप निरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर (अनुदेशक)	25 वर्ष	35 वर्ष
4	आरक्षी नागरिक पुलिस	18 वर्ष	22 वर्ष
5	आरक्षी प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलरी	18 वर्ष	22 वर्ष
6	आरक्षी घुड़सवार पुलिस	18 वर्ष	22 वर्ष

(2) कुशल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिये विशेष परिस्थितियों में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा आरक्षी पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा में 02 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट तथा उप निरीक्षक पद हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट और अनुदेशक (कोच) के लिये अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

Scanned with CamScanner

न्यूनतम आयु सीमा में छूट प्राप्त कर भर्ती हुए खिलाड़ी को "खेल प्रशिक्षणार्थी" के पद पर रखा जायेगा तथा उसे निर्धारित मूल वेतन की धनराशि का 80 प्रतिशत मानदेय प्रतिमाह अनुमन्य होगा। शासकीय सेवा की विहित न्यूनतम आयु पूर्ण कर लेने पर उसे शासकीय सेवा में लिया जा सकता है।

चरित्र

10 (1) सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी/खिलाड़ी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विन्दु पर स्वयं का समाधान कर लेगा।

परन्तु यह कि संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सशस्त्र अथवा नियंत्रित किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नैतिक अधमता अधमता से सम्बन्धित किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति भी अपात्र होगा।

वैवाहिक प्रास्थिति

11 ऐसा कोई पुरुष/महिला खिलाड़ी:–

(क) जिसने किसी ऐसी महिला/पुरुष से विवाह किया है या संविदा किया है, जिसके पूर्व से ही एक पति/पत्नी हो; या

(ख) जिसकी पति/पत्नी जीवित होते हुए उसने किसी ऐसी महिला/पुरुष से विवाह किया हो या संविदा किया हो उक्त सेवा में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा/होगी;

परन्तु राज्य सरकार का यदि इस बात का समाधान हो जाय कि विवाह हेतु ऐसे व्यक्ति और अन्य पक्ष के लिये लागू पर्सनल लॉ के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है, ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रर्वतन से छूट दे सकती है।

शारीरिक स्वस्थता

12 कोई खिलाड़ी जो राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में नियमित रूप से प्रतिभाग कर रहा है सामान्य व्यक्ति की तुलना मे शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ एवं उपयुक्त रहता है। अतः कुशल खिलाड़ी के रूपमें भर्ती किये जाने वाले अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत किसी असाध्य रोग की जांच मात्र के लिये की जायेगी। उपचार योग्य रोग एवं ऐसी शारीरिक विषमता जिसका इसके खेल पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता हो, के आधार पर कुशल खिलाड़ी कोटे के अन्तर्गत किसी चयनित अभ्यर्थी को अनुपयुक्त/अनर्ह घोषित नहीं किया जायेगा।

भाग–पाँच (सीधी भर्ती की प्रक्रिया)

रिक्तियों का अवधारण

13 (1) क्रमशः पदों से सम्बन्धित नियमावली के अधीन भर्ती वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों का वर्ष के दौरान अवधारण, नियुक्ति प्राधिकारी करेगा और वह विभागाध्यक्ष को सूचित करेगा। कुल 02 प्रतिशत रिक्तियां उन कुशल खिलाडियों द्वारा अलग से भरी जायेंगी, जो रिक्तियों के विज्ञापन के दिनांक को सभी अपेक्षायें पूरी करते हों। रिक्तियों की संख्या की गणना पूर्णांक में की जायेगी और 1 से नीचे दशमलव की गणना नहीं की जायेगी।

(2) उप नियम (2) के अधीन संख्यांकित रिक्तियों के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष राज्य सरकार को सूचित करेगा और अग्रेत्तर कार्यवाही के लिये बोर्ड को भी अधिसूचित करेगा।

(3) यदि किसी दिये गये वर्ष में कोई उपयुक्त और अर्ह अभ्यर्थी भर्ती के लिये उपलब्ध नहीं होता है अथवा यदि रिक्ति के सापेक्ष भर्ती की कार्यवाही किये जाने के उपरान्त रिक्ति शेष रह जाती है तो यह शेष रिक्ति अग्रेतर तीन वर्ष के लिये अग्रेनीत की जायेगी तथा तीन वर्षों के उपरान्त ऐसी शेष रिक्तियाँ सामान्य भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भरी जा सकती हैं।

(4) कुशल खिलाड़ियों एवं कोच (प्रशिक्षक) को भर्ती करने हेतु उपलब्ध रिक्तियाँ/पदों की संख्या की सूचना उत्तर प्रदेश पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड द्वारा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को प्रेषित की जायेंगी एवं साथ ही विभिन्न खेल स्पर्धाओं में पदों की संख्या निश्चित करके उसका अनुमोदन पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश से प्राप्त किया जायेगा। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा तदोपरान्त कुशल खिलाडियों एवं कोच (प्रशिक्षक) की भर्ती के लिए विभिन्न खेल स्पर्धाओं के लिए विनिश्चित रिक्तियों का अधियाचन उत्तर प्रदेश पुलिस

Scanned with CamScanner

भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को उपलब्ध कराया जायेगा। भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा प्राप्त अधियाचन का परीक्षण करने के उपरान्त विज्ञापन के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित रीति से अधिसूचित किया जायेगा

(क) व्यापक प्रसार वाले दैनिक हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करके,
(ख) कार्यालय के सूचना पट्ट पर नोटिस लगा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा,
(ग) रोजगार कार्यालय को रिक्तियों को अधिसूचित करके, और
(घ) जनसाधारण के अन्य माध्यमों द्वारा,

(5) बोर्ड की अधिसूचना की प्रति उत्तर प्रदेश खेल नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को प्रेषित की जायेगी, जिसके द्वारा सभी खेल फेडरेशन/एसोसिएशन आदि से भी खिलाड़ियों के मध्य उक्त भर्ती के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु अनुरोध किया जायेगा।

(6) विभिन्न खेल स्पर्धाओं के लिये अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष यदि अपेक्षानुसार अधिक अथवा कम अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया जाता है तो रिक्तियों की संख्या परस्पर घटायी अथवा बढ़ायी जा सकती है। इसके लिये बोर्ड की संस्तुति पर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

14 (1) आवेदन पत्र :–

विज्ञप्ति के माध्यम से अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष भर्ती हेतु अभ्यर्थी केवल एक आवेदन पत्र भर सकता है। भर्ती बोर्ड केवल आन लाईन आवेदन पत्र स्वीकार करेगा। एक से अधिक आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी का आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा जिस पद के लिये आवेदन किया जा रहा हो उस पद की अर्हताओं से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र आनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड किया जायेगा। भर्ती बोर्ड विभागाध्यक्ष से विचार–विमर्श कर किसी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क नियत करेगा। आवेदन पत्र भरने एवं बुलावा पत्र जारी करने के सम्बन्ध में विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा निर्धारित की जायेगी और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

सरकार किसी भी समय किसी भर्ती के लिए रिक्तियों की संख्या परिवर्तित कर सकती है और किसी भर्ती को किसी भी समय या भर्ती को किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकती है।

(2) आवेदन पत्रों की संवीक्षा :–

बोर्ड में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों एवं उनके संलग्नकों अर्थात प्रमाण पत्रों की विस्तृत संवीक्षा की जायेगी। यदि आवेदन पत्र में उल्लिखित अभिलेखों की कोई प्रमाणित प्रतियाँ आवेदन के साथ संलग्नक नहीं हैं तब ऐसे अपूर्ण अथवा अशुद्ध आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा निरस्त किये जा सकते हैं।

(3) अभिलेखों की संवीक्षा :–

उन अभ्यर्थियों/खिलाड़ियों को, जिनके आवेदन पत्र संवीक्षा के उपरान्त शुद्ध पाये गये हों, को मूल शैक्षणिक/खेल प्रमाण–पत्रों से अभिलेखों की संवीक्षा हेतु बुलावा पत्र जारी किये जायेंगे और यह अपेक्षा की जायेगी कि वे चयन समिति के समक्ष विनिर्दिष्ट दिनांक/समय और स्थान पर उपस्थित होकर अपनी आयु, शिक्षा और खेल उपलब्धियों से सम्बन्धित सभी आवश्यक अभिलेख मूलरूप में प्रस्तुत करें जिससे कि आवेदन पत्र में अंकित प्रविष्टियों/संलग्न अभिलेखों का सत्यापन किया जा सके।

(4) शारीरिक मानक :–

(1) विभिन्न खेल स्पर्धाओं में कुशल खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी/खिलाड़ी, किसी भी शारीरिक परीक्षण (ऊँचाई/सीने की माप/वजन) से मुक्त होगा।

(5) परीक्षण समिति का गठन :–

(1) विज्ञप्ति के माध्यम से कुशल खिलाड़ियों के चयन के लिए परीक्षण समिति, बोर्ड द्वारा निम्नानुसार गठित की जायेंगी:–

(क) परीक्षण समिति

(एक) पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक	अध्यक्ष
(दो) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	सदस्य
(तीन) प्रादेशिक क्रीडाधिकारी(पुलिस)	सदस्य
(चार) खेल निदेशालय द्वारा नाम निर्दिष्ट खेल विशेषज्ञ	सदस्य

Scanned with CamScanner

(ख) खेल कौशल परीक्षण समिति:—परीक्षण समिति में कुशल खिलाड़ियों के परीक्षण के लिये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चार सदस्यीय (जिन्हें खेलों का अनुभव हो) निम्नवत समिति गठित की जायेगी:—

(एक) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	अध्यक्ष
(दो) अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक,	सदस्य
(तीन) प्रादेशिक क्रीड़ाधिकारी (पुलिस)	सदस्य
(चार) अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी (खेल विशेषज्ञ)	सदस्य
(पांच) प्रशिक्षक (राष्ट्रीय खिलाड़ी/एन0आई0एस0)	सदस्य

परीक्षण समिति खेलों की विभिन्न खेल विधाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों का विशेषज्ञ के रूप में सहयोग ले सकेगी।

टिप्पणी:—परीक्षण समिति के सभी सदस्यों की उपस्थिति में ही खिलाड़ियों का परीक्षण किया जायेगा।

(6) उत्तर प्रदेश पुलिस खेलों के लिए उपयुक्तता के सम्बन्ध में परीक्षण समिति संस्तुति करेगी, परीक्षण समिति अधिकतम—80 अंक प्रदान करेगी, जो निम्नलिखित मानदण्ड के अनुसार होगा। परीक्षण समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा पृथक—पृथक निर्धारित प्रारूप पर अभ्यर्थी को अंक प्रदान किया जायेगा और ट्रायल रिपोर्ट में कुल प्राप्तांक लिखा जायेगा। प्रत्येक अभ्यर्थी के मार्क शीट पर उसका हस्ताक्षर होगा, जिसको ट्रायल रिपोर्ट के साथ संलग्न की जायेगी। परीक्षण समिति निम्नवत मानक के अनुसार अंकों को प्रदान करेगी:—

(क) <u>खेल कौशल परीक्षण (पूर्णांक—80 अंक)</u>

उपयुक्त	50 अंक अथवा अधिक
अनुपयुक्त	50 अंक से कम

(7) परीक्षण में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए भेजा जायेगा।

(8) उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों के चयन का विनिश्चय चयन समिति की प्रक्रियानुसार किया जायेगा। अगला चरण 20 अंकों का होगा, जो अभ्यर्थियों की खेल उपलब्धियों पर आधारित होंगे। अभ्यर्थी को चयन समिति द्वारा अनुपयुक्त घोषित किये जाने के उपरान्त दोबारा चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जायेगा।

(9) अन्तिम चयन सूची बनाने के लिए परीक्षण में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों को चयन समिति एवं परीक्षण समिति द्वारा दिये गये अंकों का योग किया जायेगा तथा चयन के सम्बन्ध में संस्तुति की जायेगी। संस्तुति पर चयन समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे।

(10) अंकों का विभाजन—परीक्षण समिति द्वारा लिया जाने वाला परीक्षण तथा चयन समिति द्वारा परीक्षण के समय दिये जाने वाले अंकों का मानक पूर्णांक—100 का विवरण निम्नवत होगा:—

(1) खेल कौशल परीक्षण	80 अंक
(2) खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन	20 अंक
पूर्णांक	100 अंक

<u>टिप्पणी:</u> चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों को प्रतिनिधित्व देने के लिये समय—समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 7 के अधीन किये गये आदेशानुसार नामांकन किया जायेगा।

(11) <u>प्रमाण पत्रों का सत्यापन:—</u>

नियुक्ति के लिये विभागाध्यक्ष को संस्तुति भेजने से पूर्व बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों/खिलाड़ियों के खेल प्रमाण—पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित खेल फेडरेशन/एसोशिएसन से कराया जायेगा। किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण—पत्र त्रुटिपूर्ण एवं कूटरचित/फर्जी पाये जाने की स्थिति में उसका अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

चयन और

(12) बोर्ड रिक्तियों के सापेक्ष अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता कम के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं से सम्बन्धित परीक्षण में सफल पाये गये अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार करेगा और इसे

Scanned with CamScanner

अंतिम श्रेष्ठता सूची

संस्तुति के साथ चरित्र सत्यापन के अधीन विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी। विभागाध्यक्ष बोर्ड द्वारा प्रेषित सूची को अनुमोदन के पश्चात् अग्रतर कार्यवाही हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

चिकित्सीय परीक्षण

13 (क) अभ्यर्थी/खिलाड़ी, जो चयन सूची में हों, से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सीय परीक्षण में उपस्थित होने की अपेक्षा की जायेगी। चिकित्सीय परीक्षण हेतु, सम्बन्धित जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक चिकित्सा परिषद गठित की जायेगी जिसमें तीन चिकित्सक रखे जायेंगे, जो महानिदेशक, चिकित्सा और पुलिस भर्ती चिकित्सीय परीक्षण बोर्ड द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण करेंगे। चयनित अभ्यर्थी/खिलाड़ी साध्य रोग और ऐसे जटिल शारीरिक असमानता, जिससे संबंधित खेल के खिलाड़ी के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, के आधार पर चिकित्सा परिषद द्वारा अनुपयुक्त/अनर्ह घोषित नहीं किये जायेंगे। असाध्य रोगों और ऐसे शारीरिक असमानताओं, जिनसे खिलाड़ी के खेल प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, उक्त चिकित्सीय परीक्षण में अनुपयुक्त/अनर्ह घोषित किये जायेंगे।

(ख) यदि कोई अभ्यर्थी/खिलाड़ी, जो अपने चिकित्सीय परीक्षण से असंतुष्ट हो और अपील करना चाहता हो, तो उसे मण्डलीय चिकित्सा परिषद के समक्ष अपील करने के लिये चिकित्सा परिषद द्वारा विहित प्रपत्र उपलब्ध कराया जायेगा और असंतुष्ट अभ्यर्थी/खिलाड़ी इसके पश्चात उपरोक्त विहित प्रपत्र में तत्काल या परीक्षा दिवस पर आवेदन करेगा। अपील अगले दिवस प्रस्तुत की जा सकती है। अपील प्रस्तुत किये जाने के एक माह के भीतर प्रस्तुत की गयी अपील पर मण्डली चिकित्सा परिषद द्वारा पूर्ण रूप से केवल उस स्थिति में विचार किया जायेगा कि अभ्यर्थी/खिलाड़ी के चिकित्सीय परीक्षण में जिला चिकित्सा परिषद द्वारा कृत विनिश्चय में कोई त्रुटि हुई है। गठित मण्डलीय चिकित्सा परिषद में सम्बन्धित त्रुटि का एक विशेषज्ञ होना आवश्यक होगा।

(ग) चिकित्सीय परीक्षण संचालित किये जाने सम्बन्धी विस्तृत अनुदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी किये जायेंगे। चिकित्सीय परीक्षण में असफल पाये गये अभ्यर्थी/खिलाड़ी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किये जायेंगे और ऐसी रिक्तियां अग्रतर चयन हेतु अग्रेनीत कर दी जायेंगी।

चरित्र सत्यापन

15 नियुक्ति पत्र जारी किये जाने से पूर्व, नियुक्ति प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन, अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पर भेजे जाने के पूर्व चरित्र सत्यापन पूर्ण कराया जायेगा। सामान्यतः चरित्र सत्यापन एक माह के भीतर पूर्ण कर लिया जायेगा। किसी अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने के मामले में, उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित कर दिया जायेगा और ऐसी रिक्तियां अग्रतर चयन के लिये अग्रेनीत कर दी जायेंगी।

पदोन्नति हेतु पात्रता

16 (1) ऐसे कुशल खिलाड़ियों, जो इस नियमावली में विहित अर्हताएं धारित करते हों और जो खेलों में अपने सर्वोत्तम प्रदर्शन के आधार पर क्रमशः प्रत्येक संवर्ग/पद के लिये सेवा नियमावली में विहित अर्हताओं के आधार पर बिना पारी के पदोन्नति के लिये अर्ह हैं, को मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस/प्रादेशिक सशस्त्र कान्सटेबुलरी/घुड़सवार पुलिस और उप निरीक्षक नागरिक पुलिस/प्लाटून कमाण्डर प्रादेशिक सशस्त्र कान्सटेबुलरी/निरीक्षक घुड़सवार पुलिस अथवा समकक्ष पदों पर पदोन्नत किया जा सकता है।

(2) उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के आधार पर बिना पारी के पदोन्नति प्रदान करते हुए, प्रतिकूल प्रविष्टि/शास्ति, सत्यनिष्ठा प्रमाण–पत्र आदि के सम्बन्ध में अग्रतर कार्यवाही सरकारी आदेश संख्या 761/कार्मिक–1/1993, दिनांक 30–06–1993 के उपबंधों के अनुसार किया जायेगा और विभागीय या दाण्डिक प्रक्रियाओं और निलम्बन आदि के मामले में अग्रतर कार्यवाही सरकारी आदेश संख्या 13/21/89/का–1–1977, दिनांक 28–05–1997 के उपबंधों के अनुसार की जायेगी।

(3) सम्बन्धित खेल स्पर्धा में पदक अर्जित करने के समय प्रभावी नियमावली के अधीन पदोन्नति का लाभ दिया जायेगा।

पदोन्नति के लिये रिक्ति का

17 इस नियमावली के अनुसार, बिना पारी के पदोन्नति हेतु अर्ह अभ्यर्थी के चयन के पश्चात, उसका समायोजन पूर्ववर्ती भर्ती वर्ष में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष किया जायेगा। यदि रिक्तियां उक्त वर्ष में उपलब्ध न हों तो ऐसे पदोन्नत कर्मचारियों को अगले वर्ष की रिक्तियों

Scanned with CamScanner

निर्धारण के सापेक्ष समायोजित किया जायेगा।

पदोन्नति की अर्हताएं 18(1) कुशल खिलाड़ी की पदोन्नति के लिये निम्नलिखित अर्हतायें होंगी:–

पदनाम	न्यूनतम अर्हता
मुख्य आरक्षी	राष्ट्रीय खेल/चैम्पियनशिप/अखिल भारतीय पुलिस प्रतियोगिता/ड्यूटी मीट में कोई पदक अर्जित किया हो।
उपनिरीक्षक	नेशनल खेल/चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक अथवा एशियाई/ कामनवेल्थ चैम्पियनशिप एवं विश्वकप अथवा किसी अन्य मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में कोई पदक अर्जित किया हो। या अखिल भारतीय पुलिस प्रतियोगिता/डियूटी मीट में चार पदक अर्जित किया हो, जिसमें दो स्वर्ण पदक हों।
निरीक्षक	एशियाई/कामनवेल्थ चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक अथवा एशियाई/कामनवेल्थ खेल में कोई पदक अर्जित किया हो। या राष्ट्रीय प्रतियोगिता/राष्ट्रीय खेलों में चार पदक अर्जित किया हो, जिसमें दो स्वर्ण पदक हों। या अखिल भारतीय पुलिस प्रतियोगिता/डियूटी मीट में पॉच पदक अर्जित किया हो, जिसमे दो स्वर्ण पदक हो।

(2) कोच (अनुदेशक) की पदोन्नति के लिए निम्नलिखित अर्हताएं होंगी:
यदि किसी कोच के प्रदर्शन/प्रशिक्षण में कोई खिलाड़ी अथवा टीम, ओलम्पिक खेल/विश्व चैंपियनशिप/एशियाई/कामनवेल्थ खेल में कोई पदक अर्जित करता है तो सम्बन्धित कोच को बिना पारी की पदोन्नति पर विचार किया जायेगा।

(3) कुशल खिलाड़ियों के लिये बिना पारी की पदोन्नति की कोई सीमा नहीं होगी, किन्तु कोच के आधार पर अधिकतम दो बिना पारी की पदोन्नति दी जा सकेगी।

(4) बिना पारी की पदोन्नति, खिलाड़ियों के विभिन्न खेल स्पर्धाओं में खेल प्रदर्शन के आधार पर दी जायेगी न कि उनके वर्तमान रैंक (पद) के आधार पर। उदाहरणार्थ यदि कोई आरक्षी ऐशियाई खेल में कांस्य पदक अर्जित करता है तो उसे सीधे निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दी जायेगी न कि अगले पद पर अर्थात मुख्य आरक्षी के पद पर।

पदोन्नति की प्रक्रिया 19 चयन समिति:–

(1) कुशल खिलाड़ियो को बिना पारी पदोन्नति हेतु बोर्ड द्वारा गठित चयन समिति विचार करेगी।

(2) चयन समिति की बैठक का आयोजन वर्ष में दो बार माह फरवरी और अगस्त में किया जायेगा, जो फरवरी और अगस्त माह की समाप्ति तक अपनी संस्तुतियाँ विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगी।

(3) कुशल खिलाड़ियो को बिना पारी पदोन्नति हेतु गठित चयन समिति का अध्यक्ष, बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट होगा तथा जिस पद पर पदोन्नति के लिए चयन समिति गठित हुई है, उस पद के नियुक्ति प्राधिकारी से कनिष्ठ नहीं होगा। समिति में समुचित स्तर का एक सदस्य विभागाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा और समिति के शेष सदस्य तत्समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

Scanned with CamScanner

(4) पदोन्नति हेतु निर्विवाद कुशल खिलाडियों की सूची खेल नियंत्रण बोर्ड द्वारा बोर्ड को उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) चयन समिति सफल कुशल खिलाड़ियों का परिणाम अपनी संस्तुति सहित बोर्ड को प्रस्तुत करेगा। भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड चयनित कुशल खिलाड़ियों की सूची अपनी संस्तुति सहित विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा।

(6) विभागाध्यक्ष अपने अनुमोदन के पश्चात सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगा जो प्रोन्नति हेतु अंतिम आदेश जारी करेगा।

(7) प्रोन्नति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट तथा उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट (website) पर प्रदर्शित की जायेगी।

(8) इस नियमावली के अधीन की गयी समस्त प्रोन्नतियाँ पदभार/कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवृत्त होंगी।

भाग—छः प्रशिक्षण, परिवीक्षा
(नियुक्त, प्रशिक्षण, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता)

नियुक्ति 20 (1) नियम 15 एवं 16 के उपबन्धों के अधीन, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नामों को उसी क्रम में, जिसमें वे नियम–15 के अधीन तैयार की गयी सूची में आते हैं, नियुक्त प्राधिकारी अभ्यर्थियों को इस निदेश के साथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा कि वे पत्र के जारी किये जाने के दिनांक से या नियुक्ति पत्र में इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किसी दिनांक से एक माह के भीतर सेवा/प्रशिक्षण के लिये उपस्थित हों। किसी अभ्यर्थी द्वारा ऐसा न करने पर उनके चयन/नियुक्ति को रद्द कर दिया जायेगाः

परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व से सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त और कार्यरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किया गया समझा जायेगा।

(2) नियम–19 के अधीन किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो, एक संयुक्त सम्मिलित आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें खिलाड़ियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी यथास्थिति चयन में अवधारित की जाये या जैसी की उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें प्रोन्नत किया जाना है, जैसा भी मामला होः

परन्तु इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में किसी पद पर नियुक्त और उक्त पद पर कार्यरत किसी खिलाड़ी को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त हुआ समझा जायेगा और ऐसी मौलिक नियुक्ति को इस नियमावली के अधीन की गयी नियुक्ति समझी जायेगी।

प्रशिक्षण 21 (1) उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस/प्लाटून कमाण्डर प्रादेशिक सशस्त्र कांस्टेबुलरी और आरक्षी नागरिक पुलिस/प्रादेशिक सशस्त्र कान्सटेबुलरी/घुड़सवार पुलिस के पदों पर इस नियमावली के अधीन भर्ती कुशल खिलाड़ियों को विभाग में आगमन कराने के उपरान्त पद का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(2) इस प्रशिक्षण के दौरान ऐसे कुशल खिलाड़ियों को अखिल भारतीय पुलिस खेलों/राष्ट्रीय खेलों/अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने की छूट प्राप्त होगी, यह समयावधि प्रशिक्षण का ही भाग होगा।

(3) उपनियम (1) के अनुसार प्राप्त बेसिक प्रशिक्षण बिना पारी पदोन्नति के उद्देश्य से आधारभूत प्रशिक्षण माना जायेगा। अतः पद विषयक मूलभूत प्रशिक्षण पूर्ण न करने के आधार पर किसी अभ्यर्थी/खिलाड़ी को बिना पारी पदोन्नति हेतु अयोग्य नहीं किया जायेगा।

(4) कुशल खिलाड़ी कोटे के अधीन भर्ती/पदोन्नत खिलाड़ियों का पद सम्बन्धी प्रशिक्षण किसी ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र पर कराया जा सकता है, जहाँ खेलों से सम्बन्धित सुविधायें उपलब्ध हों।

Scanned with CamScanner

परिवीक्षा 22 (1) कुशल खिलाड़ी के रूप में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

परन्तु उपनियम (2) के अनुसार न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूर्ण न करने वाले खिलाड़ियों को अधिकतम पांच वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जा सकेगा।

(2) परिवीक्षा अवधि के दौरान, परिवीक्षाधीन खिलाड़ी से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कराने की अपेक्षा की जायेगी जैसा की विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाय।

(3) यदि ऐसे चयनित किये गये अभ्यर्थी परिवीक्षा अवधि के दौरान अपने खेल स्तर व कौशल को नहीं बनाये रखते है, तो उनके परिवीक्षा की अवधि सचिव, उत्तर प्रदेश पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त एक वर्ष अथवा विशेष परिस्थिति में दो वर्ष तक बढाई जा सकेगी।

(4) यदि इस विस्तारित अवधि में सचिव, उ0प्र0 उत्तर प्रदेश पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड इस राय के है कि उक्त पदधारक कुशल खिलाड़ी ने अपने खेल स्तर व कौशल को बनाये नहीं रखा हैं, तो ऐसे पदधारक कुशल खिलाड़ी को सचिव, उत्तर प्रदेश पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड सेवा से उन्मोचन करने की संस्तुति नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित कर सकेंगे, और इस प्रकार उन्मोचन करने में नियमानुसार कोई अनुशासनिक कार्यवाही आवश्यक नहीं होगी।

(5) ऐसा परिवीक्षाधीन खिलाड़ी जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

स्थायीकरण 23 (1) नियम 22 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन खिलाड़ी को परिवीक्षा अवधि या विस्तारित परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसके द्वारा आधारभूत प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया हो,

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक रहा हो और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की गयी हो।

(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के नियम 5 के उप नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित खिलाड़ी ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता 24 (1) कुशल खिलाड़ी कोटे के अधीन चयन से नियुक्त किये गये पुलिस कर्मियों की वरिष्ठता उनके चयन के दिनांक से निर्धारित की जायेगी।

स्पष्टीकरण : इस उपनियम में यहां चयन के दिनांक का तात्पर्य बोर्ड द्वारा भेजी गयी चयन सूची को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किये जाने के दिनांक से है।

(2) बोर्ड द्वारा कुशल खिलाड़ी के रूप में भर्ती पुलिस कर्मियों के चयन को एक पृथक चयन माना जायेगा। कुशल खिलाड़ी कोटे के अधीन चयन के माध्यम से भर्ती कर्मियों की पारस्परिक वरिष्ठता बोर्ड द्वारा जारी अन्तिम चयन सूची के क्रम के अनुसार होगी।

(3) पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त पुलिस कर्मियों की ज्येष्ठता उनके चयन की तिथि से निर्धारित की जायेगी।

स्पष्टीकरण : इस उपनियम में यहां चयन के दिनांक का तात्पर्य बोर्ड द्वारा भेजी गयी चयन सूची को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किये जाने के दिनांक से है तथा पूर्ववर्ती वर्ष में चयनित कर्मी पश्चातवर्ती वर्ष में चयनित कर्मियों से ज्येष्ठ होंगे।

भाग– छः (वेतन आदि)

वेतन 25 विभाग में मौलिक पद/सेवा के लिये प्रचलित वेतन संरचना के अनुसार कुशल खिलाड़ियों को वही वेतन और भत्ते अनुमन्य होंगे जिसके सापेक्ष उनकी नियुक्ति की गयी है।

परिवीक्षा अवधि में वेतन 26 (1) मूल नियम में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन खिलाड़ी को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, एवं प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो; और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:

Scanned with CamScanner

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसा खिलाड़ी जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, का परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत मूल नियम द्वारा विनियमित होगा।

(3) ऐसे खिलाड़ी जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हों, का परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग–सात आदि)

अन्य प्रकीर्ण उपबन्ध

27 (1) ऐसी विषय वस्तुएं, जो इस नियमावली या अन्य सुसंगत आदेशों द्वारा सुस्पष्ट रूप से आच्छादित न हो, ऐसी नियमावली, उपबन्ध और आदेशों द्वारा नियंत्रित होगी जो सामान्यतः राज्य के अन्य सेवारत कर्मचारियों के लिए उनके संचालन हेतु लागू हो।

(2) समय–समय पर जारी सरकारी आदेशों के अनुपालन में ऐसे खिलाड़ियों, जो अपनी खेल उपलब्धियों के आधार जारी पदोन्नति प्राप्त किये हों, को पदोन्नति के दिनांक से उनके, संवर्ग में पदोन्नति किया हुआ समझा जायेगा।

सेवा शर्तों में शिथिलता

28 (1) जहाँ राज्य सरकार को यह समाधान हो जाता है कि सेवा में नियुक्त खिलाड़ियों की सेवा शर्तों से सम्बन्धित किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई उत्पन्न होती है तो वह उक्त मामलों में लागू नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं में अभिमुक्ति या शिथिलता इस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन प्रदान कर सकती है जैसा कि वह न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से मामले को व्यवहृत करने के लिये आवश्यक समझें।

(2) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के दिनांक को पूर्व में प्रख्यापित कुशल खिलाड़ियों की भर्ती/बिना पारी पदोन्नति से सम्बन्धित नियमावली एवं अन्य शासनादेश/निर्देश स्वतः निरस्त माने जायेंगे।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव, गृह
उत्तर प्रदेश शासन।

Scanned with CamScanner